न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 60/2017
दायर दिनांक – 20/07/2017
निर्णय दिनांक – 15/01/2018

अनवान

1. शंकरलाल पिता रतनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा

वादी

बनाम

1. बालुराम पिता सोहनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा।
2. गेहरीबाई पति सोहनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा।
3. चुन्नीबाई पति रतनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 4061/2596 रकबा 01–08 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की भूमियां स्थित है। उपरोक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 03 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होकर उक्त आराजीयात का विधिवत विभाजन नही हुआ है। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 शराब के नशे का आदि है। प्रतिवादीगण जो संख्या 02 माता व 03 दादी है। जिनका पालन पोषण भी नही कर रहा है। इन दोनो प्रतिवादियों को डरा धमका कर उक्त वाद पत्र में विर्णित भूमि को बेचने पर आमदा हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को भी बहला फुसला कर विक्रय कर देगा। वादी एक विकलांग व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 विधवा एवं बुजूर्ग महिला है। प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 02 व 03 पर सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने का दबाव बना रहा है एवं वादी को एलानियां धमकियां दे रहा है कि उक्त भूमि के विक्रय में हस्ताक्षर करने पडेगें। उक्त संयुक्त स्वामित्व की आराजियात को बिना विधिवत विभाजन कराये किसी अजनबी केता को बेचने पर आमदा है। उक्त आराजी हमारे परिवार की जीविका का साधन है। जिससे मुझ वादी को मजबुरन उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा है। अतः वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र में वर्णित आराजी का वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि जब तक विधिवत विभाजन नही हो तब तक किसी के रहन बह बक्षीस नही करें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने आदेश प्रदान कराया जावें।

2/6

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू-01 शंकरलाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-01, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-02 के प्रस्तुत की गयी।

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 4061/2596 रकबा 01-08 बीघा का जब तक विधिपूर्वक विभाजन नही हो जाता तब तक विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी, आर0 ए0 एस

राजस्व वाद संख्या :– 60/2017 वाद

वादीपक्ष :–

1. शंकरलाल पिता रतनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा

–: बनाम :–

प्रतिवादीपक्ष :–

1. बालुराम पिता सोहनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा।
2. गेहरीबाई पति सोहनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा।
3. चुन्नीबाई पति रतनलाल भील निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा।

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– अधिवक्ता– एम0डी0 दशोरा
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता– –

में इस आशय में दिनांक 15/01/2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती है वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम रेलमगरा के आराजी संख्या 4061/2596 रकबा 01–08 बीघा का जब तक विधिपूर्वक विभाजन नही हो जाता तब तक विपक्षीगण रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 15/01/2018 को न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा